

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 392]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 28, 1970/कार्तिक 6, 1892

No 392]

NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 28, 1970/KARTIKA 6, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st October 1970

S.O. 3530.—In exercise of the powers conferred by Sub-Clause (b) of Clause 2 of the Newsprint Control Order, 1962 No. CH(1)-18(1)/62 dated the 17th January, 1962, the Govt. of India is hereby pleased to appoint Shri A. Datta Majumdar Deputy Press Registrar, Office of the Registrar of Newspapers for India, Ministry of Information and Broadcasting, New Delhi, to exercise the powers of the Controller with immediate effect.

2. The earlier Notification No. S.O. 1978, dated the 20th May, 1970 relating to the appointment of Shri S. G. Purohit, Assistant Press Registrar for exercising the power of Controller under the said Newsprint Order, 1962, is hereby cancelled.

[No. F. 3/9/70-I&EC.]

P. K. SAMAL, Jt. Secy.

बिदेशी व्यापार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 अक्टूबर, 1970

का० आ० 3530.—अखबारी कागज नियन्त्रण आदेश, 1962 सं० सी० एच० (1)-18(1)/62 दिनांक 17 जनवरी 1962 की धारा 2 की उपधारा (ख) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते

हुए, भारत सरकार एतद्वारा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, नई दिल्ली के भारतीय समाचार पत्रों के रजिस्ट्रार के कार्यालय में उप-प्रेस रजिस्ट्रार श्री ए० दत्त भणुमदार को इसी समय से नियन्त्रक की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए सहर्ष नियुक्त करती है।

2. 20 मई, 1970 की विगत अधिसूचना सं० का० आ० 1978 को, जो उक्त अखबारी कागज आदेश 1962 के अन्तर्गत नियन्त्रक की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए सहायक प्रेस रजिस्ट्रार श्री एस० जी० पुरोहित की नियुक्ति से सम्बन्धित है, एतद्वारा रद्द किया जाता है।

[संख्या 3/9/70-आई० एण्ड ई० सी०]

पी० के० समाल, संयुक्त सचिव।